छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक/एफ 5–09/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 29/10/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0),
भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियेट बिल्डिंग,
व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन,
नागपुर (महाराष्ट्र) – 440001 ।

विषयः– आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ पर्यटन मंडल, रायपुर का सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत मॉं कुदरगढ़ी देवी धाम में रोपवे निर्माण कार्य हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी–1531 की 0.621 हे. एवं राजस्व वन भूमि खसरा नं. 275 की 0.176 हे. कुल 0.797 हे. वन भूमि के गैर वानिकी कार्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपर्तन प्रस्ताव।

संदर्भः अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/विविध/115–703/1491, दिनांक 31.07.2020 तथा पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/विविध/115–703/1665, दिनांक 14.09.2020

———00———

वन संरक्षण अधिनियम 1980, के अंतर्गत विषयांतर्गत वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), नोडल अधिकारी, वन सरंक्षण अधिनियम 1980 छत्तीसगढ, रायपुर, से संदर्भित पत्रों द्वारा प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण (Brief) निम्नानुसार है :–

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
1	आवेदक विभाग का मांग पत्र – आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ पर्यटन मंडल, रायपुर का सूरजपुर जिले के सूरजपुर वन मंडल अंतर्गत मॉं कुदरगढ़ी देवी धाम में रोपवे निर्माण कार्य हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी–1531 की 0.621 हे. एवं राजस्व वन भूमि खसरा नं. 275 की 0.176 हे. कुल आवेदित रकबा 0.797 हे. वन भूमि के गैर वानिकी का र्य के लिए वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।	1 से 6
2	प्रपत्र I में रजिस्ट्रेशन कोड (वर्ष/पंजीयन क्रमांक) – वनमंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा रजिस्ट्रेशन क्रमांक– FP/CG/Others/25041/2017 आबंटित होने का उल्लेख किया गया है। इसकी पुष्टि भू–प्रबंध प्रभाग के पत्र दिनांक 05.10.2017 के आधार पर की जाती है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क रू. 24,000/– जमा कराये गये है।	7 से 8
3	वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्तवित रोपवे निर्माण कार्य हेतु संरक्षित वन कक्ष क्र. पी–1531 की 0.621 हे. एवं राजस्व वन भूमि खसरा नं. 275 की 0.176 हे. कुल आवेदित रकबा 0.797 हे. वन भूमि प्रभावित हो रही है।	9
4	गैर वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्ताव में गैर वन भूमि प्रभावित नहीं हो रही है।	10
5	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1: 50000 स्केल पर – प्रस्तावित वन क्षेत्र का वन मंडलाधिकारी सूरजपुर से हस्ताक्षरित सर्वे ऑफ इंडिया का मानचित्र संलग्न है।	11 से 12
6	वन क्षेत्र का इन्डेक्स मैप – एफ.एम.आई.एस द्वारा जारी किया गया एवं वन मंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा हस्ताक्षरित वन संनिधि मानचित्र संलग्न है।	13 से 15

क्रमशः 2

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
7	प्रपत्र – 4 में प्रस्ताव – प्रपत्र – 4 में यूजर एजेंसी द्वारा जानकारी दी गई है। परियोजना की प्रशासकीय लागत 10.88 करोड़ रू. है। वन मंडलाधिकारी, सूरजपुर वन मंडल ने यह प्रमाणित किया है कि उद्देश्य की पूर्ति हेतु सभी विकल्प का परीक्षण कर लिया गया है तथा इस प्रस्ताव में न्यूनतम वन भूमि शामिल है।	16 से 23
8	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप – सूरजपुर जिले अंतर्गत कूदरगढ़ में स्थित माँ कुदरगढ़ी देवी एक प्राचीनतम तथा क्षेत्र की आस्था का केन्द्र रहा है। जहाँ वर्षभर धार्मिक अनुष्ठानों, देवी दर्शन तथा प्राकृतिक छटा को देखने के लिए प्रतिदिन सैंकडों की संख्या में श्रद्धालु आते है। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर माँ कुदरगढ़ी देवी दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालू आते हैं। वर्तमान में खड़ी पहाड़ी चढ़ाई लगभग 2 कि.मी. का रास्ता तय कर श्रद्धालु जाते हैं, जिसमें छोटे बच्चे एवं बुजुर्गो की संख्या भी रहती है। पैदल आने आने से पर्यावरण एवं पेड़ पौधों को नुकसान होता है। रोवपे निर्माण से एक ओर पर्यावरण को क्षति कम होगी वहीं दूसरी ओर श्रद्धालूओं का आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा 25–30 स्थानीय युवकों को आजीवन रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।	24 से 25
9	वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 28.03.2019 के कंडिका 2.6 अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण के बदले वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु विभाग द्वारा निर्धारित राशि जमा किये जाने हेतु आवेदक संस्थान वचनबद्ध है कावचन पत्र संलग्न है।	26 से 28
10	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र – यूजर एजेंसी का न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण–पत्र संलग्न है जो वनमंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है।	29
11	पर्यावरण संरक्षण स्वीकृत प्रमाण पत्र – यूजर एजेंसी का कथन है कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के बिन्दु 7 एफ में उल्लेखित विवरण के अनुसार पर्यावरण संरक्षण स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	30 से 39
12	वृक्ष विदोहन विवरण (प्रपत्र – अ एवं ब में) – प्रस्तावित क्षेत्र में वृक्ष की कटाई नहीं की जावेगी। अतः वृक्ष विदोहन योजना आवश्यक नहीं है।	40 से 53
13	कास्ट/बेनिफिट एनालिसिस – प्रस्तावित क्षेत्र 20.00 हे. से कम होने के कारण कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।	54 से 60
14	चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश) – राजस्व वन क्षेत्र – प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रही है।	61
15	गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा – प्रस्ताव में गैर वन क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रही है।	62 से 67
16	स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना – भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के दिशा निर्देश दिनांक 28.03.2019 के कंडिका 2.6 अनुसार 1.00 हे. से कम व्यपवर्तन प्रस्ताव में वैकल्पिक वृक्षारोपण की आवश्यकता नहीं है।	68 से 70
17	वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र – प्रस्ताव 1.00 हे. से कम होने के कारण लागू नहीं होगा।	71

क्रमशः 3

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
18	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा कार्यो का विवरण – यूजर एजेंसी तथा वन मंडलाधिकारी सूरजपुर के संयुक्त प्रमाण पत्र के अनुसार वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।	72
19	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यो का विवरण – वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेवार नहीं है।	73
20	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही – किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	74
21	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र – मुख्य सचिव से गैर वनभूमि अनुपलब्धता प्रमाण पत्र आवश्यकता नहीं है।	75
22	कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान – प्रस्ताव में लागू नहीं होगा।	76 एवं 77
23	रिक्लेमेशन प्लान – प्रस्ताव में लागू नहीं होगा।	78
24	माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में) – प्रस्ताव खनन से संबंधित न होने के कारण माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।	79
25	व्यवस्थापन प्लान – रोपवे निर्माण कार्य के लिए किसी भी ग्रामीण का विस्थापन नहीं किया जाना है। अतः व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।	80
26	वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रपत्र I से IV तक) – भाग–2 पर वन मंडलाधिकारी सूरजपुर द्वारा स्थल निरीक्षण दिनांक 02.06.2020 के आधार पर लोक हित में प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार साईट क्वालिटी IVa तथा वनो का घनत्व 0.5 तक है। भाग–3 पर मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त द्वारा वनमंडलाधिकारी सूरजपुर के सुझाव से सहमत होते हुए जनहित में अनुशंसा की गई है।	81 से 90
27	ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र – प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में या उसके आसपास ऐतिहासिक स्थल या मूर्ति नहीं है, इससे संबंधित यूजर एजेंसी तथा वन मंडलाधिकारी सूरजपुर का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	91 से 91 ए
28	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – प्रस्तावित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत कूदरगढ़ का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न है।	92 से 93
29	जिले की कुल वन भूमि (रकबा हे. में) – जिले की कुल वन भूमि का रकबा 165572.246 हे. का विवरण दिया गया है।	94
30	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में – व.स.अ. 1980 अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में सूरजपुर वन मंडल में प्रभावित हुई वन भूमि 2585.464 हे. है।	95 से 98
31	व.स.अ. 1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तन वन भूमि रकबा हे. में – सूरजपुर वन मंडल में स्वीकृत प्रकरणों मे इसी श्रेणी की कोई भी प्रकरण स्वीकृत नहीं है।	99

क्रमशः 4

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
32	प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी – आवेदित वन भूमि के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कोरीडोर तथा ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति नहीं है। यूजर एजेंसी तथा वन मंडलाधिकारी सूरजपुर का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है।	100 से 104
33	15 कि.मी. परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन – आवश्यकता नहीं है चूँकि संबंधित चिन्हांकन केवल खनन परियोजनाओं के लिये किया जाना है।	105
34	वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र – आवेदित क्षेत्र के लिये कलेक्टर सूरजपुर द्वारा जारी किया गया वन अधिकार संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 21.08.2017 तथा अनुविभाग स्तरीय वन अधिकार समिति, अनुविभाग सूरजपुर का कार्यवाही विवरण दिनांक 28.06.2017 एवं संबंधित ग्राम सभाओ का कार्यवाही विवरण संलग्न है।	106 से 119
35	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र– प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि 0.176 हे. शामिल है। कलेक्टर, सूरजपुर की अनापत्ति दिनांक 21.08.2017 संलग्न है।	120 से 121
36	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र – यूजर एजेंसी द्वारा वचन पत्र दिया गया है ।	122
37	**Clearance under FC Act, 1980: Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA: Remittances to precede 2nd stage clearance –** यूजर एजेंसी द्वारा वचन पत्र दिया गया है ।	123
38	**A detailed note on Soil Productivity or the lack of it –** यूजर एजेंसी तथा वन मंडलाधिकारी सूरजपुर का संयुक्त प्रमाण पत्र संलग्न है कि वनस्पति विकास दर **Mostly Stony, Shallow with Gravels and Pebbles loam** है ।	124
39	परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र – वन भूमि में व्यपवर्तन के पूर्व किसी प्रकार का कार्य प्रारंभ नहीं किया जावेगा – ऐसा प्रमाण पत्र यूजर एजेंसी के द्वारा दिया गया है ।	125
40	**Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980 –** प्रमाण पत्र लगाया गया है। आवेदित वन क्षेत्र 500 हे. से कम है अतः वोकेशनल प्रशिक्षण संस्थान की आवश्यकता नहीं है।	126
41	पंजीयन क्रमांक – पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण :– राशि 6000/– ड्राफ्ट क्रमांक 438246दिनांक 31.01.2017 एवं प्रोसेसिंग शुल्क रूपये 18000/– ड्राफ्ट क्रमांक 438245 दिनांक 31.01.2017 कुल 24000 राशि वसूल की जाकर उसे कोषालय में चालान नं. 131 एवं 132 दिनांक 01.11.2017 से जमा कर दिया गया है।	127
42	वन्यप्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत – वनमंडलाधिकारी, सूरजपुर द्वारा अभिमत दिया गया है कि प्रस्तावित वन क्षेत्र अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, टाईगर कॉरीडोर अथवा वन्यप्राणी संरक्षित क्षेत्र में नहीं आता। अतः वन्यप्राणी परियोजना बनाये जाने की आवश्कता नहीं है।	128
43	विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण – प्रस्ताव विद्युत लाईन से संबंधित नहीं है।	129

क्रमशः 5

बिंदु क्र.	विवरण	संलग्न प्रस्ताव फोल्डर की पृष्ठ संख्या
44	प्रस्ताव मे अन्य (Misc) कमियों का विवरण – प्रस्ताव में तीन विकल्पों को दर्शाता हुआ मानचित्र एवं प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस. सर्वे संलग्न है।	130 से 156

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमो/दिशा निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेब साईट में **www.parivesh.nic.in** पर अपलोड किया गया है।

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शिका के सिद्धांतों के अनुरुप सभी औपचारिकताए पूर्ण कर **Diversion** प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा (प्रपत्र–4) के उपरांत 1 प्रति में संलग्न प्रेषित है। राज्य शासन की अनुशंसा प्रपत्र–5 में दी जाती है। कृपया प्रेषित प्रस्ताव पर भारत सरकार की औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर अवगत कराने का अनुरोध है।

संलग्न :– प्रस्ताव 1 प्रति में।

21.10

(अभिषेक कुमार सिंह)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

पृ.कमांक/एफ 5–09/2020/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक /10/2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़।
2. मुख्य वन संरक्षक सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
3. वनमंडलाधिकारी सूरजपुर वनमंडल, छत्तीसगढ़।
4. आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ पर्यटन मंडल, रायपुर, छत्तीसगढ़।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

Part-V

(To be filled by the secretary in charge of Forest Department or by any other authorized officer of the state Government not below the rank of Under Secretary)

S.No.		
18	Recommendation of the State Government:- (Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part -D above should be specifically commented upon)	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ द्वारा भाग IV में की गई अनुशंसा के आधार पर आवेदनकर्ता, प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल, रायपुर को सूरजपुर जिले के सूरजपुर वनमंडल अंतर्गत माँ कुदरागढ़ी देवी धाम में रोपवे निर्माण कार्य हेतु संरक्षित वन कक्ष क्रमांक पी–1531 का 0.621 हे. एवं राजस्व वन भूमि खसरा नं. 275 का 0.176 हे. कुल आवेदित रकबा 0.797 हे. वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन प्रस्ताव पर राज्य शासन द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

Signature

Date : 29 -10-2020

Place : Raipur

Name - Manoj Kumar Pingua

(Manoj Kumar Pingua)

Designation - Principal Secretary,

C.G. Govt.

Forest Department

Principal Secretary
Govt. of Chhattisgarh
Department of Forest
Mantralaya, Chhattisgarh